प्रकरण सं0 .....अनवान.....

Continuation Note Sheet

2 15-3-19 प्रार्थीया द्वारा पत्रावली को पेशी में लिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थीया/वादिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसका पक्षकारान के साथ पंचायत में राजीनामा हो चुका है और वह इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद में आगे कार्यवाही नहीं चाहने एवं वाद को नोटप्रेस करने पर वादिया का वाद इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसला-शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

लीला देवी
Identified by me
Not Press
15/3/19
क्लर्क एडवोकेट

(मुकेश बोरठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर